

संशोधित प्रेस विज्ञापित

सविदा सफाई कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति हेतु संशोधित सूचना

संख्या : 58 /आ0लि0-न0आ0-कैम्प / 16

दिनांक 18.10.2016

सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश सं० 2021/9-1-16-185 सा/10 टीसी दिनांक 04 जुलाई 2016 के क्रम में नगर निगम, मेरठ में 2355 सविदा सफाई कार्मिकों की भर्ती हेतु दिनांक 03.08.2016 द्वारा समाचार पत्रों/नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। तत्क्रम में शासनादेश संख्या 29869-1-16-185 सा/10 टीसी दिनांक 13.10.2016 द्वारा आरक्षण की श्रेणियों के अन्तर्गत पुनः आवेदन-पत्र मांगने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त के क्रम में केवल आरक्षण की श्रेणियों (भू०सैनिक, महिला, विकलांगजन व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रित) के अभ्यर्थियों से दिनांक 03.08.2016 को प्रकाशित विज्ञापित में निर्धारित प्रारूप पर अधोलिखित शर्तों के आधार पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं :-

निकाय का नाम	भर्ती योग्य कुल रिक्त पद	ऊर्ध्वधर के आरक्षण				क्षैतिज के आरक्षण			
		अनु० जाति 21 प्रतिशत	अनु० जनजाति 02 प्रतिशत	अन्य पिछडा वर्ग 27 प्रतिशत	अनारक्षित 50 प्रतिशत	विकलांग	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं आश्रितों	भू०सैनिक	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर निगम, मेरठ	2355	495	47	636	1177	03 प्रतिशत	02 प्रतिशत	05 प्रतिशत	20 प्रतिशत

नोट :-

- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2016 से दिनांक 03.11.2016 को सायंकाल 5.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश दिनांक 23.10.2016 रविवार एवं शासकीय अवकाश दिनांक 30.10.2016, 31.10.2016 एवं 01.11.2016 को छोड़ते हुए) नगर निगम, मेरठ केसरगंज रोड, थाना देहली गेट के सामने, निकट शहर घंटाघर, मेरठ 250002 कार्यालय स्थित सभागार में आवेदक सीधे स्वयं जमा कर सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक/रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा उक्त पते पर नियत समय अवधि में भेज सकता है। इसके पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। "आवेदन पत्र के लिफाफे पर सविदा सफाई कार्मिक भर्ती/नियुक्ति अवश्य लिखें।"
- आवेदन पत्र नगर निगम, मेरठ की वेबसाइट www.meerutnagarnigam.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- शेष शर्तें/निर्देश दिनांक 03.08.2016 को इस हेतु जारी विज्ञापित के अनुसार होगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना रोस्टर के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

18/10/16
नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ